39

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर कैम्प जबलपुर म.प्र. ।

राजस्व पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक R.1413-II/05/2005- 2006

FIVE RUPEES COURT FEE INDIA

किशोरीलाल यादव आत्मज स्व. छेदीलाल यादव
धधा कृषि निवासी शिव मन्दिर के पास कंचनपुर
अधारताल तहसील वा जिला जबलपुर म.प्र. । ---- आवेदक

विरुद्ध

जगदीश यादव आत्मज स्व. रामसिंह यादव
उम्र करीब 33 वर्ष, निवासी मौजा कठौदा
थाना गोहलपुर तहसील वा जिला जबलपुर म.प्र. ।--- अनावेदक

पुनरीक्षण आवेदन अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू.रा.संहिता 1959,

श्री आर एस शर्मा अभि. द्वारा आज दि. 29-8-05 को जबलपुर कैम्प पर प्रस्तुत किया।
29-8-05
रीडर

आवेदक सनम्र निम्नानुसार पुनरीक्षण पेश करता है :-

आवेदक माननीय अधिनस्थ न्यायालय श्रीमान् कमिश्नर जबलपुर द्वारा पारित आदेश / आर्डर सीट दिनांक 8/8/2005, पक्षकार - किशोरीलाल यादव विरुद्ध जगदीश यादव ,प्रकरण क्रमांक 81/अ-6/2004-2005, से व्यथित हो कर निम्नलिखित तथ्यो एवं आधारो पुनरीक्षण प्रस्तुत करता है :-

2-
तथ्य

यह कि अनावेदक क ने एक आवेदन पत्र अवैध विक्रय पत्र अधिकार विहीन व्यक्ति द्वारा दिनांक 17/2/2004 ,विक्रेता श्रीमती लक्ष्मीबाई ,विजय कुमार,सुरेश कुमार वा माया बाई द्वारा निष्पादित बैनामा के तहत खसरा नम्बर 207/1 रकवा 4.22 हे. भूमि मौजा आगासौद पटवारी हल्का नम्बर 17, नम्बर बन्दोबस्त 19,तहसील पाटन जिला जबलपुर स्थित भूमि का नामान्तरण हेतु आवेदन पत्र पेश किया जिसका राजस्व प्रकरण क्रमांक 35/अ-6/2003-2004, अधिनस्थ न्यायालय श्रीमान् अतिरिक्त तहसीलदार कटंगी

Adv

क्र.त.

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

———

प्रकरण कमांक – निगरानी 1413–दो/05 जिला – जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
4–3–16	उभयपक्ष की ओर से कोई उपस्थित नहीं । प्रकरण का अवलोकन किया इस प्रकरण में दिनांक 8–5–08 को तत्कालीन पीठासीन अधिकारी द्वारा उभयपक्षों के मध्य प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण यह निर्देश दिए गए थे कि – " माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा पारित अंतिम आदेश के पश्चात यदि पक्षकार म0प्र0 भू–राजस्व संहिता के अंतर्गत शेष कार्यवाही के आदेश इस न्यायालय से चाहते हो तब माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण को सुना जा सकेगा ।" उक्त आदेश को लगभग 8 वर्ष होने को हैं और किसी पक्षकार द्वारा कोई आवेदन इस न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है, ऐसी स्थिति में इस प्रकरण को आगे चलाए रखने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है । अतः यह प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है । 2/ उभयपक्ष सूचित हों एवं अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख वापिस हों । सदस्य	